कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कक्ष भू–प्रबंध) वन भवन,

सी–ब्लॉक, द्वितीय तल, लिंक रोड़ नं.–2, तुलसी नगर, भोपाल, म0प्र0–462003

क्रमांक / एफ–4 / 12 / 2019 / 10–11 / 732 भोपाल, दिनांक 1-2-2024

प्रति,

उप वन महानिदेशक (केन्द्रीय)
भारत सरकार, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय,
क्षेत्रीय कार्यालय, पश्चिम क्षेत्र केन्द्रीय पर्यावरण भवन,
लिंक रोड़ नं. 3, ई–5, रविशंकर नगर, मध्यप्रदेश, भोपाल

विषयः– पन्ना जिले के वन मंडल दक्षिण पन्ना के अंतर्गत 21.00 हेक्टेयर संरक्षित वन भूमि 33 के.व्ही. सलेहा से कल्दा विद्युत लाईन निर्माण हेतु कार्यपालन अभियंता, म0प्र0पू0क्षे0वि0वि0 कम्पनी लिमिटेड, संभाग, पन्ना, मध्यप्रदेश को उपयोग हेतु देने बावत्।

संदर्भः– भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, भोपाल का पत्र क्रमांक / 6–एमपीसी 007 / 2020–बीएचओ / दिनांक 19.05.2023

–0–

विषयांकित प्रकरण में भारत सरकार के उक्त संदर्भित पत्र द्वारा चाही गई 10 बिन्दुओं की जानकारी प्राप्त कर निम्नानुसार प्रेषित है :–

स.क्र.	चाही गई जानकारी	प्रस्तुत जानकारी
1	The order of Hon'ble NGT dt. 07/03/2012 which is give at Para 18 of APCCF (LM) proposal forwarding letter dt. 07/02/2020 shall be made available to this office.	इस कार्यालय के पत्र दिनांक 07.02.2020 की प्रति संलग्न है।
2	The C:B analysis as per revised NPV rates shall be submitted & uploaded.	इस बिन्दु के संबंध में नवीन एन.पी.व्ही. की दरों के अनुसार संशोधित कास्टबेनिफिट एनालिसिस अपलोड कर दिया गया है।
3	Correct copy of Part-II (recommendation of DFO) and Part-III shall be uploaded.	भाग–2 की पूर्ति कर अपलोड कर दिया गया है।
4	DSS analysis, shows 38.00 ha MDF and 5.61 ha agriculture encroachment out of 42.00 ha CA land, the revised CA area in open forest shall be submitted.	पुनरीक्षित वृक्षारोपण योजना 11 वर्षीय तैयार कर वेबपोर्टल पर अपलोड कर दी गई है।
5	The revised site specific CA scheme shall be submitted as per the Para 2.8 (iii) of FCA HAndbook 2019.	
6	Current status of area proposed for diversion with KML file, w.r.t inviolate status needs to be submitted.	अद्यतन स्थिति की स्थल निरीक्षण रिपोर्ट अपलोड कर दी गई है।

–2–

7	Reasons for delay in submission of reply shall be submitted.	आवेदक संस्था द्वारा विलम्ब से जानकारी प्रस्तुत करने के कारण जानकारी भेजने में विलम्ब हुआ है।
8	Scheme of dwarf/medicinal plantation needs to be provided.	औषधीय वृक्षारोपण योजना अपलोड कर दी गई है।
9	List of affected trees and list of trees to be actually felled to be provided separately.	प्रभावित वृक्षों की सूचि संलग्न है।
10	The substation also needs to be depicted in kml file and status of land on which substation is proposed needs to be indicated.	सब स्टेशन को KML में मार्क कर अपलोड कर दी गई है।

संलग्नः–उपरोक्तानुसार।

01.02.24

(एच.एस.मोहन्ता)
अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू–प्रबंध)
मध्यप्रदेश, भोपाल

पृ0 क्रमांक / एफ–4 / 12 / 2019 / 10–11 / 733 भोपाल, दिनांक 01-2-2024

प्रतिलिपि–

1. मुख्य वन संरक्षक, छतरपुर वृत्त, छतरपुर, मध्यप्रदेश।
2. वनमण्डलाधिकारी, सामान्य वन मंडल, दक्षिण पन्ना, मध्यप्रदेश।
3. कार्यपालन अभियंता, म0प्र0पू0क्षे0वि0वि0 कम्पनी लिमिटेड, संभाग, पन्ना, मध्यप्रदेश

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

01.02.24

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू–प्रबंध)
मध्यप्रदेश, भोपाल

कार्यालय वनमण्डलाधिकारी दक्षिण वनमण्डल पन्ना (म.प्र.)

Office - 07732 - 252016 , 291323, E-mail - dfosouth@rediffmail.com dfospanna@mpforest.gov.in

क्रमांक / मा.चि. / 2024 / 60 पन्ना,दिनांक 08/01/2024

प्रति,

वनसंरक्षक

छतरपुर वृत्त छतरपुर

विषय :— सलेहा से कल्दा 33 के.व्ही. नवीन विद्युत लाईन ऑनलाईन प्रकरण क्रमांक FP/MP/others/33428/2018 के संबंध में।

संदर्भ :— आपका पत्र क्रमांक / 23 / 1613 दिनांक 24.05.2023, एवं प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू–प्रबंध) भोपाल का पत्र क्र0 / एफ–4 / 12 / 2019 / 10–11 / 1201 दिनांक 23.05.2023 एवं भारत सरकार वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय भोपाल का पत्र क्रमांक / 6-MPC 007/2020-BHO / 266 दिनांक 19.05.2023

—00—

उपरोक्त विषयान्तर्गत अनुरोध है कि सलेहा से कल्दा 33 के.व्ही. नवीन विद्युत लाईन ऑनलाईन प्रकरण क्रमांक FP/MP/others/33428/2018 में संदर्भित पत्र के माध्यम से चाही गई 10 विन्दुओं की निम्नानुसार बिन्दुवार जानकारी तैयार कर ऑनलाईन पूर्ति कर हार्डकॉपी संलग्न संप्रेषित है।

क्र	बिन्दु	जानकारी
1	the order of Hon'ble NGT dt.07.03.2012 which is give at 18 of APCCF (LM) Proposal forwarding latter dt. 07.02.2020 shall be made available to this office.	उक्त जानकारी अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू–प्रबंध) भोपाल द्वारा प्रेषित की जावेगी।
2	The C:B analysis as per revised NPV rates shall be submitted & uploaded.	नवीन एन.पी.व्ही. की दरों के अनुसार संशोधित काष्ट बेनेफिट एनालाईसेसे अपलोड किया गया है।
3	Correct copy of Part II (recommended of DFO) and Part III shall be uploaded.	भाग –2 की पूर्ति कर अपलोड किया गया है।
4	DSS analysis, shows 38.00 ha. MDF and 5.61 ha. agriculture encroachment out of 42.00 ha. CA land, the revised CA area in open forest shall be submitted	पुनरीक्षित वृक्षारोपण का चयन कर संशोधित वृक्षारोपण योजना संलग्न है।
5	The revised site specific CA scheme shall be submitted as per the para 2.8 (iii) of FCA handbook 2019	11 वर्षीय आदर्श वृक्षारोपण योजना तैयार कर अपलोड की गई है।
6	Current status of area proposed for diversion with KML File w.r.t. inviolate status needs to be submitted	साईट इन्सपेक्शन रिपोर्ट अपलोड की गई है।
7	Reasons for deley in submission of reply be submitted.	आवेदक संस्थान द्वारा समय से प्रकरण मे पूर्ति नही की गई।
8	scheme of draft/medicinal plantation needs to be provided.	औषधि वृक्षारोपण योजना तैयार कर अपलोड की गई है।
9	List of affected trees and list of tree to be actually felled to be provided separately.	प्रस्तावित विद्युत लाईन में प्रभावित वृक्षो की सूची संलग्न है।
10	the substation also needs to be depicted in Kml file and status of land on which substation is proposed needs to be indicated.	सब–स्टेशन को मार्क कर के.एम.एल. अपलोड की गई है।

वनमण्डलाधिकारी

दक्षिण वनमण्डल पन्ना (म.प्र.)

पृ.क्रमांक / मा.चि. / 2024 / 61 पन्ना,दिनांक 08/01/2024

प्रतिलिपि :–

- अपर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (भू प्रबंध) ~~सतपुडा~~ वन भवन म.प्र. भोपाल की ओर सूचनार्थ सम्प्रेषित।

वनमण्डलाधिकारी

दक्षिण वनमण्डल पन्ना (म.प्र.)

I: DM MEMO 2024.Docx

कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कक्ष भू–प्रबंध) सतपुड़ा भवन, भोपाल, मध्यप्रदेश

क्रमांक / एफ–4 / 12 / 2019 / 10–11 / 509 भोपाल, दिनांक 07-02-20

प्रेषक,

सुनील अग्रवाल, (भा.व.से.)
अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू–प्रबंध)
मध्यप्रदेश।

प्रति,

उप वन महानिदेशक (केन्द्रीय)
भारत सरकार, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
क्षेत्रीय कार्यालय, पश्चिम क्षेत्र केन्द्रीय पर्यावरण भवन
लिंक रोड़ नं. 3, ई–5, रविशंकर नगर, मध्यप्रदेश, भोपाल

विषयः– पन्ना जिले के वन मंडल दक्षिण पन्ना के अंतर्गत प्रभावित 21.00 हेक्टेयर वन भूमि 33 के.व्ही. सलेहा से कल्दा विद्युत लाईन निर्माण हेतु कार्यपालन अभियंता, म0प्र0पू0क्षे0वि0वि0 कम्पनी लिमिटेड, संभाग, पन्ना, मध्यप्रदेश को उपयोग हेतु देने बावत्।

—0—

महोदय,

विषयांकित प्रस्ताव ऑनलाईन 21.00 हेक्टेयर वन भूमि व्यपवर्तन हेतु प्राप्त हुआ था, जो इस कार्यालय से वन मंडल अधिकारी (सा.) वन मंडल, दक्षिण पन्ना को ऑनलाईन पूर्ति कर भेजने हेतु लेख किया गया था। प्रस्ताव की समस्त औपचारिकताओं की पूर्ति करते हुये मुख्य वन संरक्षक, छतरपुर वृत्त, छतरपुर ने अपने पत्र क्रमांक / मा.चि. / 385, दिनांक 25 / 03 / 2019 से इस कार्यालय को प्रेषित किया गया था, जिसके संदर्भ में इस कार्यालय के पत्र क्रमांक / 1147 दिनांक 24.04.2019 से कार्यपालन अभियंता, म0प्र0पू0क्षे0वि0वि0कं0 संभाग, पन्ना को लेख किया गया कि आपके द्वारा 4 मीटर चौड़ाई ली गई है, जबकि भारत सरकार के निर्देशों के अनुसार 33 के.व्ही. विद्युत लाईन हेतु 15 मीटर की चौड़ी पट्टी ली जाना है। अतः प्रस्ताव में KML फाईल 15 मीटर की पट्टी की तैयार कर अपलोड करे तथा वनमण्डलाधिकारी को अग्रेषित करे। तत्संबंध में मुख्य वन संरक्षक, छतरपुर वृत्त, छतरपुर द्वारा उनके पत्र क्रमांक / मा0चि0 / 2019 / 1956 दिनांक 06.12.2019 से इस कार्यालय को प्रेषित किया गया है, जिसकी जानकारी निम्नानुसार हैः–

1.(अ) वन विभाग के अधीन वन भूमि मेंः–

अ. क्र.	जिले का नाम	वन मंडल का नाम	परिक्षेत्र का नाम	कक्ष क्रमांक	आवेदित क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5	6
1	पन्ना	दक्षिण पन्ना	सलेहा	P-761, 772, 777, 787, 786, 763, 773, 774, 775, 776, 784	21.00
				योग–	**21.00**

(ब) राजस्व विभाग के अधीन वन भूमि की जानकारी निरंक है।

2. पन्ना जिले के अंतर्गत आवेदित वन क्षेत्र में ईको 3 श्रेणी का मिश्रित वन है, जिसका घनत्व 0.4 तक है।

3. आवेदित वन क्षेत्र में दक्षिण पन्ना वन मंडल के अंतर्गत वृक्षों की जानकारी निम्नानुसार हैः–

S. No.	Scientific Name	Local Name	(0-30) cm.	(31-60) cm.	(61-90) cm.	(91-120) cm.	(121-150) cm.	(>150) cm.
1	Tectona Grandis	sagon	78	233	50	16	0	0
2	Others	satkatha	950	2071	869	285	92	52
Total			1028	2304	919	301	92	52
Sub Total (No of Trees.)			**4696**					

–2–

4. आवेदित क्षेत्र में राष्ट्रीय उद्यान/वन्य जीव अभ्यारण्य/जैव मंडल रिजर्व/बाघ रिजर्व/हाथी कॉरीडोर का भाग नहीं है।

5. आवेदित क्षेत्र में वनस्पति और प्राणी जाति की दुर्लभ/संकटापन्न/विशिष्ट प्रजातियां नहीं पाई जाती है एवं कोई संरक्षित/पारम्परिक स्थल रक्षाप्रतिष्ठान आदि भी नहीं है।

6. आवेदित क्षेत्र में वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 का उल्लंघन नहीं हुआ है।

7. आवेदित प्रस्ताव के संबंध में वन मंडल अधिकारी, दक्षिण पन्ना द्वारा प्रस्ताव स्वीकृति की अनुशंसा की गई है।

8. वन मंडलाधिकारी, दक्षिण पन्ना द्वारा अपने स्थल निरीक्षण प्रतिवेदन दिनांक 29.09.2019 से निर्धारित प्रपत्र में संलग्न कर प्रस्ताव स्वीकृति की अनुशंसा की गई है।

9. आवेदक विभाग द्वारा वैकल्पिक वृक्षारोपण की राशि के भुगतान बावत् वचन पत्र प्रेषित किया गया है।

10. आवेदक विभाग द्वारा नेट प्रजेन्ट वैल्यू की राशि के भुगतान बावत् वचन पत्र प्रेषित किया गया है।

11. आवेदक विभाग द्वारा वचन पत्र प्रेषित कर लेख किया गया है कि सलेहा से कल्दा 33 के. व्ही. विद्युत लाईन के निर्माण के दौरान किसी तरह वनों एवं वन्यप्राणियों को क्षति नहीं पहुंचाई जायेगी। यदि वनों एवं वन्य प्राणियों को क्षति होती है तो उसकी जिम्मेदारी आवेदक संस्थान की होगी।

12. आवेदक विभाग द्वारा वचन पत्र संलग्न कर यह लेख किया गया है कि प्रस्तावित विद्युत लाईन आर0ओ0डब्ल्यू0 के अंतर्गत स्वीकृत होने पर भारत सरकार/राज्य सरकार/नोडल अधिकारी द्वारा भविष्य में जो भी शर्तें निर्धारित की जाती है संस्था उन्हें मान्य करने हेतु वचनबद्ध है।

13. 1:50,000 स्केल का मानचित्र संलग्न कर तीन विकल्प चिन्हित कर दर्शाये गये हैं, जिसमें रूट क्रमांक–1 के अंतर्गत कम वन भूमि प्रभावित हो रही है।

14. जियोरिफरेंस मेप मय कार्डीनेट पाईंट के प्रस्ताव में संलग्न किया गया है।

15. वन मंडल, दक्षिण पन्ना के परिक्षेत्र सलेहा के अंतर्गत 42 हेक्टेयर दुगने बिगड़े वन क्षेत्र की रोपण योजना तैयार कर संलग्न की गई है, जिसकी तकनीकी स्वीकृति मुख्य वन संरक्षक, छतरपुर द्वारा जारी की गई है

16. प्रपत्र भाग–3 में मुख्य वन संरक्षक, छतरपुर द्वारा प्रस्तावित क्षेत्र स्वीकृत करने की अनुशंसा की गई है।

17. आवेदक विभाग द्वारा दिनांक 09.05.2018 से वन अधिकार अधिनियम, 2006 के तहत कलेक्टर जिला पन्ना से प्रमाण पत्र जारी करने हेतु अनुरोध किया गया है, किन्तु उक्त प्रमाण पत्र प्रस्ताव में संलग्न नहीं किया गया है।

18. राज्य शासन, वन विभाग द्वारा माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण के आदेश दिनांक 07.03.2012 के पालन में निम्नानुसार शर्त अधिरोपित कर अनुशंसा की गई है, जो निम्नानुसार है :–

I) It shall fell minimum number of trees in rest of the forest lands for which clearance has been granted and shall adopt the procedure of trimming the branches than uprooting the trees, as and when possible.

II) It shall ensure, maximum height of the towers in the forest area which should be 70 mts or above, following the contour of the terrain.

–3–

(3)

III) Below the conductor, width clearance of 3 mts would be permitted for taking the tension stringing equipment. The trees on such strips would have to be felled as and where required but after stringing work is completed, the natural regeneration of vegetation will be allowed to come up. Felling / pollarding / pruning of trees will be done with the permission of the cocal forest officer whenever necessary to maintain the electrical clearance.

IV) Steps shall be taken to promote and nourish the undergrowth and for afforestation with endemic species.

प्रकरण में राज्य शासन, वन विभाग द्वारा प्रशासकीय अनुमोदन प्रदान किया गया है। अतः प्रस्ताव की एक प्रति संलग्न कर अनुरोध है कि प्रकरण में भारत सरकार की सैद्धान्तिक सहमति प्राप्त कर इस कार्यालय को अवगत कराने का कष्ट करेंगे।

संलग्नः–उपरोक्तानुसार।

भवदीय

07/02/2020

(सुनील अग्रवाल)

पृ. क्रमांक/एफ–4/12/2019/10–11/ 510 भोपाल, दिनांक 07-02-20

प्रतिलिपिः–

1. मुख्य वन संरक्षक, छतरपुर वृत्त, छतरपुर, मध्यप्रदेश।
2. वनमण्डलाधिकारी (सा.) वन मंडल, दक्षिण पन्ना, मध्यप्रदेश।
3. कार्यपालन अभियंता, म0प्र0पू0क्षे0वि0वि0 कम्पनी लिमिटेड, संभाग, पन्ना, मध्यप्रदेश

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

07/02/2020

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू–प्रबन्ध)
मध्यप्रदेश, भोपाल

F:\Power\Old Section F-4.doc